

राज्य स्तरीय पुरस्कारों 2014 की गाईड लाईन एवं निर्धारित प्रपत्र

योजनान्तर्गत प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों की श्रेणी का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन कर्मचारी/स्वनियोजित विशेष योग्यजन
2. सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा स्थापन अधिकारी/संस्था
3. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्था
4. प्रेरणा स्रोत पुरस्कार
5. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास
6. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु किया गया उत्कृष्ट कार्य
7. पुनर्वास सेवाएं प्रदायी सर्वश्रेष्ठ जिला
8. राष्ट्रीय विशेष योग्यजन वित्त एवं विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य परिचालन संस्था
9. उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क विशेष योग्यजन व्यक्ति
10. सर्वश्रेष्ठ सृजनशील बालक/बालिका विशेष योग्यजन के लिये
11. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस
12. सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट
13. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन खिलाड़ी

दिये जाने वाले पुरस्कारों का विस्तृत विवरण :-

श्रेणी-1 प्रारूप अनुबंध-क

श्रेणी संख्या-1. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन कर्मचारी/स्वनियोजित विशेष योग्यजन		
संख्या	उप-श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
(i)	दृष्टिबाधिता	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(ii)	निम्नदृष्टि	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(iii)	कुष्ठ उपचारित	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(iv)	श्रवणबाधित	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(v)	चलन विकलांगता	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(vi)	प्रमस्तिष्क अंगघात	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(vii)	मानसिक मंदता	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(viii)	मानसिक रूग्णता	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(ix)	ऑटिज्म	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(x)	बहुविकलांगता	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)

चयन मापदण्ड :-

1. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजनों कर्मचारी/स्वनियोजित विशेष योग्यजनों हेतु :-

(क) सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन कर्मचारियों / स्वनियोजित विशेष योग्यजनों हेतु 20 राज्य स्तरीय पुरस्कार निम्नलिखित दस विशिष्ट श्रेणियों में होंगे -

- (i) दृष्टिहीनता,
- (ii) अल्प दृष्टि,
- (iii) कुष्ठरोग से मुक्त,
- (iv) बधिर,
- (v) चलन संबंधी विकलांगता,
- (vi) प्रमस्तिष्क अंगघात,
- (vii) मानसिक मंदता,
- (viii) मानसिक रोग,

- (ix) ऑटिज्म और
(x) बहु-विकलांगता

(ख) सरकार, सांविधिक निकायों, निगमों, स्थानीय निकायों, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र आदि के कर्मचारी और स्वनियोजित व्यक्ति पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

(ग) विशेष योग्यजन कर्मचारियों का आकलन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा :-

क्र.सं.	मानंदड	अंक
1	उपरिस्थिति में समय की पाबन्दी एवं नियमितता	--10%--
2	वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ सहयोग	--10%--
3	गतिशीलता, आत्मनिर्भरता एवं स्वतन्त्रता आदि की सीमा	--10%--
4	प्राकृतिक वातावरण, उपकरण मशीन तथा प्रक्रिया आदि से समायोजन हेतु कोई अत्यधिक मांग नहीं	--10%--
5	विशेष योग्यजनता के सन्दर्भ में किसी विशेष पारिश्रमिक की कोई अतिरिक्त मांग नहीं	--10%--
6	विशेष योग्यजनता का प्रकार	--10%--
7	विशेष योग्यजनता की तीव्रता	--10%--
8	गैर-विशेष योग्यजन सहकर्मियों की तुलना में उसके कार्यप्रमाण/उत्पादन का अनुपात	--10%--
9	विशेष योग्यजन होने के बाद अर्जित शिक्षा/योग्यता	--10%--
10	विशेष योग्यजन होने के बाद योग्यता के कारण कैरियर में प्रगति	--10%--

(घ) विशेष योग्यजन स्वनियोजित व्यक्तियों का आकलन निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	मानंदड	अंक
1	व्यवसाय से अनुकूलतम अथवा उल्लेखनीय लाभ अर्जित किया जा रहा है।	--15%--
2	विशेष योग्यजन व्यक्ति व्यवसाय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।	--10%--
3	विशेष योग्यजन व्यक्ति अपने कर्मचारियों को भुगतान करता है और वित्तीय संस्थानों को ऋण की किश्तों का भुगतान करता है।	--10%--
4	पिछले पांच वर्षों का वार्षिक टर्नओवर।	--15%--
5	उद्यम में लागू किया गया नवाचार।	--10%--
6	बिना किसी सहारे के किस सीमा तक उद्यम को संचालित कर सकता है।	--10%--
7	उद्यम में नियोजित विशेष योग्यजन व्यक्तियों की संख्या।	--10%--
8	किसी भी तीव्रता और प्रकार की विशेष योग्यजनता होने के बावजूद संस्थान की स्थापना की एवं उसे सुचारु रूप से सफलतापूर्वक चलाया।	--10%--
9	विपरीत सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां होने के बावजूद संस्थान की स्थापना की एवं उसे सुचारु रूप से सफलतापूर्वक चलाया।	--10%--

(ङ) जांच समिति द्वारा विशेष योग्यजन कर्मचारियों या स्वनियोजित विशेष योग्यजनों के वर्ग में पुरस्कार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते समय ग्रामीण तथा शहरी दोनों विशेष योग्यजन व्यक्तियों, विशेष योग्यजन महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और एकसमान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) आवेदन अनुबंध-क में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आंमत्रित किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु संस्तुत विशेष योग्यजन कर्मचारी/स्वनियोजित विशेष योग्यजन व्यक्ति का विवरण

1.	नाम: (क) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) (ख) हिन्दी में	
2.	पता (क) आवास (ख) कार्यालय	
3.	दूरभाष नं. (क) आवास (ख) कार्यालय	
4.	फैक्स नं. (क) आवास (ख) कार्यालय	
5.	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
6.	लिंग	
7.	जन्म तिथि/आयु	
8.	विशेष योग्यजनता का स्वरूप/श्रेणी	
9.	विशेष योग्यजनता का प्रतिशत (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)	
10.	शैक्षणिक योग्यता (क) शैक्षिक (ख) तकनीकी	
	विशेष योग्यजनता की शुरुआत के बाद अर्जित शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए (प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाएं)	
11.	प्राप्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो (क)संस्थान/संगठन का नाम (ख)पाठ्यक्रम का नाम (ग)पाठ्यक्रम की अवधि	
12.	अनौपचारिक रूप से अर्जित अनुभव का ब्यौरा	
13.	कर्मचारी हैं अथवा स्वनियोजित	
14.	यदि कर्मचारी हैं तो (क) नियोजक का नाम (ख) पदनाम अथवा धारित पद (ग) वेतनमान तथा प्राप्त वेतन (घ) कार्य का स्वरूप (ङ.) उसकी उत्पादकता, उसके गैर- विशेष योग्यजन सहकर्मियों की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक है अथवा कम (च) सहकर्मियों के साथ संबंध (छ) कार्य करने में स्वतंत्रता (ग्रेडिंग विकल्प पर वृत्त लगाएं)	बहुत अच्छा अच्छा निराशाजनक
	(ज) अभ्यर्थी के बारे में लगभग 200 शब्दों में विशेष योग्यजनता से उत्पन्न नुकसान से किए गए संघर्ष का ब्यौरा देते हुए संक्षिप्त जीवन वृत्त सहित आत्मनिर्भरता संबंधी टिप्पणियां (ग्रेडिंग विकल्प पर वृत्त लगाएं)	बहुत अच्छा अच्छा निराशाजनक
	(झ) उपस्थिति में समयनिष्ठता तथा नियमितता (ग्रेडिंग विकल्प पर वृत्त लगाएं)	बहुत अच्छा अच्छा निराशाजनक
	(ञ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नियोजक द्वारा कर्मचारी को कोई प्रोत्साहन/पुरस्कार/प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें	
	(ट) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी का सामान्य आकलन (ग्रेडिंग विकल्प पर वृत्त	बहुत अच्छा अच्छा निराशाजनक

	लगाएं)	
15.	यदि स्वनियोजित है:	
	(क) व्यापार/व्यवसाय, जिससे सम्बद्ध है	
	(ख) मासिक आय (पिछली आयकर विवरणी /आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
	(ग) पूर्णतः स्वनियोजित उद्यमी बनने के उद्देश्य से आपने अपने आप में उक्त व्यापार/व्यवसाय की दक्षताओं का उन्नयन किस प्रकार किया है?	
	(घ) कार्यक्षम स्वनियोजित उद्यमी बनने के लिए मौजूदा व्यापार/व्यवसाय में आ रही सामाजिक-आर्थिक समस्याएं/बाधाएं	
	(ङ) (i)क्या किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार के किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लिया है (पूरा ब्यौरा दे)	
	(ii) यदि हां, तो चुकाये जाने वाले ऋण की बकाया राशि का उल्लेख करें	
	(च) क्या आपको किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक ने बकायादार घोषित किया है।	
16.	क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है। यदि हां, तो कृपया बताएं (क) पुरस्कार का नाम (ख) प्रदाता संस्था (ग) प्रदान करने का वर्ष	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

टिप्पणी :-

1. स्वनियोजित विशेष योग्यजन व्यक्तियों के मामले में विवरण को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधायक/नगर निगम के पार्षद आदि द्वारा विधिवत प्रमाणित कराया जाए।
2. अनुशासित विशेष योग्यजन कर्मचारियों/स्वनियोजित विशेष योग्यजन व्यक्ति के जीवन वृत्त के साथ विशेष योग्यजनता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए तीन फोटोग्राफ संलग्न किए जाएं।
3. आवेदन के साथ विशेष योग्यजनता की तीव्रता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण -पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

श्रेणी-2 प्रारूप अनुबंध-ख, ग

श्रेणी संख्या -2 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा स्थापन अधिकारी/संस्था		
संख्या	उप-श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
(i)	सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता	तीन- प्रत्येक के लिए एक: (i) सरकारी संगठन (ii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त या स्थानीय सरकारी निकाय (iii) निजी या गैर-सरकारी संगठन
(ii)	सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी/एजेंसी	दो- प्रत्येक के लिए एक: (i) स्वायत्त सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (ii) निजी या गैर-सरकारी संगठन/कार्यालय

सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) 3 उप श्रेणियों (i) सरकारी संगठन, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या स्वायत्त निकाय या स्थानीय सरकारी निकाय तथा (iii) निजी या गैर-सरकारी संगठन के तहत विशेष योग्यजनों के उत्कृष्ट नियोक्ताओं का आकलन निम्नलिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा :-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
1	कि विशेष योग्यजन व्यक्तियों के नियोजन की न्यूनतम शर्त को ध्यान में रखते हुए उस वर्णित प्रतिष्ठान में कम से कम 10 प्रतिशत कर्मचारी विशेष योग्यजन है (100 अथवा अधिक विशेष योग्यजन व्यक्तियों को नियोजित करने वाले बड़े प्रतिष्ठानों के मामले में 10% की शर्त का दृढता से अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं है।)	--20%--
2	कि जंहा कहीं आवश्यक हो मशीनरी में मामूली समायोजन/संशोधन किये गये हैं।	--5%--
3	कि कार्यस्थल पर बाधामुक्त पहुंच सहित आवश्यक पर्यावरणीय उपान्तरण किये गए हैं।	--10%--
4	कि विशेष योग्यजन कर्मचारियों के लिए वेतन की दर सहित वही सेवा शर्तें लागू है जो समान कार्य हेतु अन्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित है।	--15%--
5	कि नियोजको ने विशेष योग्यजन व्यक्तियों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है।	--10%--
6	कि जंहा आवश्यक तथा व्यवहार्य है, आवास एवं परिवहन आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती है।	--10%--
7	प्रतिधारण दर ।	--10%--
8	कर्मचारियों का आंकलन और,	--10%--
9	सुनिश्चित की गई उत्पादकता।	--10%--

सर्वश्रेष्ठ स्थापन अधिकारी या एजेंसी के चयन हेतु मापदण्ड :-

(क) विशेष योग्यजन व्यक्तियों के नियोजन अधिकारी/संस्था की श्रेणी के अंतर्गत दो राज्य स्तरीय पुरस्कार होंगे, निम्नलिखित दो उप श्रेणियों में एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा :-

- (i) स्वायत्त सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और
- (ii) निजी/गैर-सरकारी संगठन या अधिकारी

(ख) विशेष योग्यजन व्यक्तियों के नियोजन के लिये सर्वश्रेष्ठ नियोजन अधिकारी का आकलन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा :-

क्र.सं.	मानंदड	अंक
1	कि उसने पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 50% पंजीकृत बेरोजगार विशेष योग्यजन व्यक्तियों को नियोजित कराया और उनमें से कम से कम 30% महिलाएं थी।	--20%--
2	पिछले 5 वर्षों के दौरान नियोजित विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कुल संख्या।	--10%--
3	पिछले 5 वर्षों के दौरान उसके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही एवं उससे पंजीकृत लोगों का नियोजन पिछले वर्ष के अन्त तक सर्वोत्कृष्ट रहा है।	--25%--
4	कि नियोजन अधिकारी का व्यवहार पंजीकृत विशेष योग्यजन व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक एवं सहायतापूर्ण रहा है।	--20%--
5	वर्णित वर्ष में छोड़ कर जाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।	--15%--
6	नियोजन अधिकारी विशेष योग्यजन व्यक्तियों के सभी वर्गों को नियोजन प्रदान करेगा और नियोजन हेतु सहायता करते समय उनमें संतुलन बनाये रखेगा।	--10%--

(ग) आवेदन अनुबंध-ख एवं ग में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय पुरस्कार नियोक्ता का ब्यौरा

1.	नाम: (क) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) (ख) हिन्दी में			
2	संगठन का डाक तथा तार का पता एवं दूरभाष तथा फ़ैक्स न.			
3	वेबसाइट का पता, यदि कोई हो			
4	ई-मेल पता, यदि कोई हो			
5	क्या सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निजी संगठन है			
6	संगठन द्वारा किए जा रहे कार्य का स्वरूप			
7	संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या	पुरुष	महिला	कुल
8	संगठन में कार्यरत विशेष योग्यजन व्यक्तियों की संख्या श्रेणीवार एवं लिंगवार	पुरुष	महिला	कुल
9	कर्मचारियों की विशेष योग्यजनता का स्वरूप (यदि संगठन में विभिन्न प्रकार की विशेष योग्यजनता वाले व्यक्ति कार्यरत है तो कृपया प्रत्येक प्रकार की विशेष योग्यजनता वाले व्यक्तियों की संख्या बताएं)			
10	कुल कर्मचारियों की तुलना में विशेष योग्यजन कर्मचारियों का प्रतिशत			
11	कार्य का स्वरूप, जिसमें विशेष योग्यजन व्यक्ति नियोजित है।			
12	क्या उनकी सेवा शर्तें अन्य कर्मचारियों के समान हैं?			
13	क्या मशीनों में कोई उपान्तरण किए गए हैं और निर्मित वातावरण में सुविधा प्रदान की गई है?			
14	विशेष योग्यजन व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं नियोजन हेतु अब तक किए गए विशेष प्रयास और भावी योजनाएं			
15	विशेष योग्यजन व्यक्तियों की उत्पादकता गैर-विशेष योग्यजन कर्मचारियों की तुलना में कितनी है?			
16	अभ्युक्तियां			

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु विशेष योग्यजन व्यक्तियों के स्थापन हेतु उत्तरदायी संस्था/अधिकारी का विवरण

I. वैयक्तिक विवरण

1.	नाम:(क) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) (ख) हिन्दी में	
2	जन्म तिथि	
3	शैक्षणिक योग्यता	
4	डाक का पता	
5	तार का पता / फ़ैक्स नं.	
6	दूरभाष नं. कार्यालय : आवास :	
7	वेबसाइट/ई-मेल, यदि कोई हो	
8	नियोजक का पूरा पता (सभी नियोजकों का ब्यौरा दें, जिनके साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान नियोजित रहे हैं। अंतिम नियोजक का नाम पहले दिया जाए)	
9	इस धारित पद पर कुल सेवा	

II. कार्य निष्पादन का ब्यौरा: स्थापन अनुवर्ती कार्यवाही पिछले पांच वर्षों का ब्यौरा दिया जाएं

क्र. स.	वर्ष	विशेष योग्यजन व्यक्तियों की संख्या				नियोजन तथा पंजीकरण का अनुपात/प्रतिशत	मामलों की संख्या, जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई	रोजगार छोड़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत एवं कारणों का संक्षिप्त ब्यौरा
		पंजीकृत पुरुष	प्रस्तावित महिला	पुरुष	महिला			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2007							
2	2008							
3	2009							
4	2010							
5	2011							

III. नियोजन अधिकारी का संक्षिप्त विवरण :-

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंषा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

“स्थापन” से मोटे तौर पर आशय रोजगार कार्यालय की निम्नलिखित कार्यवाही के परिणामस्वरूप नियोजक द्वारा किसी व्यक्ति को संवैतनिक कार्य हेतु स्वीकार किए जाने से है:-

- 1) प्रस्तुत करने से पूर्व ऑर्डर की बुकिंग ,
- 2) नियोजक के पास भेजे जाने वाले व्यक्तियों के बारे में पूर्व सूचना,
- 3) चयनित व्यक्तियों को भेजना और यह सत्यापन करना कि उन्हें नियोजित कर लिया गया है।

(राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली में दी गई परिभाषा के अनुसार)

श्रेणी-3 प्रारूप अनुबंध-घ, ड

श्रेणी संख्या-3 विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्था		
संख्या	उप-श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
(i)	सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	दो- (व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक प्रत्येक के लिए एक)
(ii)	सर्वश्रेष्ठ एजेंसी	दो- प्रत्येक के लिए एक: (i) एक समग्र रीति में विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए साकल्यवादी समग्र सेवाएं प्रदान करने वाला कोई संगठन और (ii) विशेष योग्यजन बच्चों/व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कोई संगठन

सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) विशेष प्रकार की विशेष योग्यजनता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को दो राज्य स्तरीय पुरस्कार (व्यावसायिकों और गैर-व्यावसायिकों को एक-एक) प्रदान किए जाएंगे।

(ख) ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने किसी वर्ष विशेष के दौरान विशेष योग्यजनों के लिये उत्कृष्ट कार्य किया हो। व्यक्ति की उत्कृष्टता का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :-

1. संगठन, जिसमें यह कार्य करता/करती है वह उसे उत्कृष्ट मानता है।
2. वह पिछले 10 वर्षों के दौरान नये कार्यक्रम अथवा सेवाएं शुरू करने के लिए उत्तरदायी है जिनके फलस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योग्यजन व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।
3. संस्थान के वेतनभोगी अधिकारी चयन हेतु पात्र नहीं होंगे तथापि विशेष योग्यजनों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के वेतनभोगी कार्यकर्ता/अधिकारी पात्र हो सकते हैं।
4. उसका योगदान विशेष योग्यजन कल्याण/पुनर्वास/शिक्षा/प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट होना चाहिये।
5. सामुदायिक पुनर्वास हेतु पुनर्वास मॉडल के विकास तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन में उसका योगदान।
6. विशेष योग्यजन के कल्याण एवं समग्र विकास हेतु समर्पित तथा विशेष योग्यजनों के अधिकारों एवं समान अवसरों के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति।
7. विशेष योग्यजनों के लिए व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये गये कार्य की गुणवत्ता और इस प्रयोजन हेतु उसके महत्व को भी उचित तरजीह दी जाएगी।
8. उसने असाधारण व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल की हों।

(ग) आवेदन अनुबंध-घ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आंमत्रित किए जाएंगे

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु व्यक्ति का ब्यौरा

1.	नाम: (क) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) (ख) हिन्दी में	
2	पता एवं दूरभाष नं./फैक्स न. (यदि कोई हो)	
3	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4	जन्म तिथि / आयु	
5	लिंग	
6	संस्थान, जिसके साथ व्यक्ति सम्बद्ध है तथा स्थानीय एवं क्षेत्रीय कार्य निष्पादन एवं कवर किए गए विशेष योग्यजन व्यक्तियों की संख्या	
7	व्यक्ति के कार्य निष्पादन को उत्कृष्ट किस प्रकार आंका गया है।	
8	व्यक्ति के संक्षिप्त जीवन-वृत्त सहित अभ्युक्तियां	
9	विशेष योग्यजन व्यक्तियों के साथ कितने वर्षों से कार्यरत है?	
10	पिछले 10 वर्षों के दौरान उसके योगदान का ब्यौरा, दस्तावेजी साक्ष्य सहित	
11	क्या पहले कोई पुरस्कार प्राप्त किया है? यदि हां तो कृपया उल्लेख करें	
12	क्षेत्र/जिला/राज्य का नाम, जिसमें विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु उत्कृष्ट कार्य किया गया है	
13	उत्कृष्ट व्यावसायिक उपलब्धियां, यदि कोई हो, का ब्यौरा	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंषा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

सर्वश्रेष्ठ संस्थान हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) इस श्रेणी के अंतर्गत 2 राज्य स्तरीय पुरस्कार होंगे, निम्नलिखित दो उप श्रेणियों के अन्तर्गत एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा :-

- (i) संगठन, जो विशेष योग्यजन व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं : तथा
- (ii) संगठन, जो विशेष योग्यजन बच्चों/व्यक्तियों के लिए सम्मिलित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।

(ख) इस श्रेणी में पुरस्कार प्रदान करने हेतु मानदण्ड निम्नानुसार होगा :-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
1	संस्थान ने विभिन्न प्रकार की विशेष योग्यजनताओं से ग्रस्त लोगों के लिए व्यापक सेवा शुरू की है।	--10%--
2	नए उपकरणों के उपयोग को अपनाया है।	--10%--
3	नई सेवाएं प्रदान की है।	--15%--
4	मौजूदा सेवाओं में सुधार हेतु नई कार्यनीतियां शुरू की है।	--10%--
5	पुनर्वास कार्य में प्रदाताओं के साथ अनुवती कार्यवाही की है।	--5%--
6	शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां उत्कृष्ट होनी चाहिए।	--10%--
7	संस्थान के पास सम्बद्ध क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।	--10%--
8	अपने मुख्यालय के आस-पास सम्पर्क सेवाओं के विस्तार में संस्थान का योगदान।	--5%--
9	विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योग्यजनों के पुनर्वास हेतु समुदाय को प्रोत्साहित करना, उसे शामिल करना तथा सहभागिता सुनिश्चित करना।	--10%--
10	संस्थानों का चयन करते समय विशेष योग्यजन व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में स्थानीय जनता की सहभागिता के माध्यम से स्वैच्छिक कार्यवाही को उचित तरजीह दी गई।	--5%--
11	भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्थान सेवाएं प्रदान कर रहा है।	--5%--
12	विशेष योग्यजनता के वर्ग (वर्गों) जिनमें संस्थान सेवाएं प्रदान कर रहा है।	--5%--

(ग) आवेदन अनुबंध-ड में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आंमत्रित किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु संस्थानों का ब्यौरा

1.	संस्थान का नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिन्दी में	
2.	संस्थान का डाक तथा तार का पता एवं दूरभाष न. और फ़ैक्स न.	
3.	वेबसाइट/ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	स्थापना वर्ष	
5.	क्या राज्य/केन्द्रीय सरकार/स्थानीय निकाय से मान्यताप्राप्त अथवा सहायता प्राप्त है	
6.	संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्य का स्वरूप	
7.	संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या (विशेष योग्यजन कर्मचारियों की संख्या का विशेष योग्यजनता – श्रेणीवार उल्लेख करें)	पुरुष महिला कुल
8.	संस्थान द्वारा कवर किये गये स्थानों तथा विशेष योग्यजन व्यक्तियों सहित संस्थान द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा	
9.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों के कल्याण एवं पुनर्वास/विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान हासिल उत्कृष्ट उपलब्धियों/योगदान का उल्लेख करें	
10.	क्या संस्थान को कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यदि हां तो कृपया उल्लेख करें और संक्षिप्त ब्यौरा दें	
11.	शासी निकाय में विशेष योग्यजन व्यक्तियों की संख्या। उनके नाम तथा पते का ब्यौरा दें।	
12.	लाभान्वित विशेष योग्यजनों की संख्या तथा जिला/राज्य सहित कार्य का क्षेत्र	
13.	संख्यात्मक विवरण देते हुए संस्थान द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों का ब्यौरा दें	

टिप्पणी :- संगठन के ज्ञापन /लेख, पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज संलग्न करें।

अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर तारीख सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

श्रेणी-4 प्रारूप अनुबंध-च

श्रेणी संख्या-4 प्रेरणा स्रोत पुरस्कार		
संख्या	उप-श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
(i)	दृष्टिबाधिता या निम्न दृष्टि	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(ii)	कुष्ठ उपचारित	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(iii)	श्रवण बाधित	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(iv)	चलन विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)
(v)	मानसिक मंदता/मानसिक रुग्णता या ऑटिज्म	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)

प्रेरणा स्रोत हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) इस श्रेणी में 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार होंगे, जिन्हें उन विशेष योग्यजन व्यक्तियों को प्रदान किया जायेगा जो अपने चयनित क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के कारण विशेष योग्यजन नागरिकों के लिये एक उदाहरण सिद्ध हो सकते हैं। विशेष योग्यजनता के निम्नलिखित उप-वर्गों में प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार - एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए प्रदान किए जाएंगे :-

- (i) दृष्टिहीनता अथवा अल्प दृष्टि,
- (ii) कुष्ठ से रोग मुक्त,
- (iii) बधिर,
- (iv) चलन विशेष योग्यजनता अथवा प्रमस्तिष्कीय अंगघात (सेरीब्रल पाल्सी), एवं
- (v) मानसिक विशेष योग्यजनता अथवा मंदबुद्धि अथवा स्वपरायणता (ऑटिज्म)।

(ख) तथापि, यदि किसी एक अथवा अधिक उप-वर्गों में उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं तो पुरस्कार अन्य उप-वर्गों के अतिरिक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को प्रदान किए जाएंगे।

(ग) आवेदन अनुबंध-च में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

प्रेरणा स्रोत (रोल मॉडल) राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु ब्यौरा

1.	नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिन्दी में	
2.	पता एवं दूरभाष न. और फ़ैक्स न. यदि कोई हो	
3.	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	विशेष योग्यजनता का स्वरूप एवं तीव्रता (विशेष योग्यजनता प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	विशेष योग्यजनता के प्रतिशत का उल्लेख करें और बताएं कि विशेष योग्यजन कब से हैं।	
6.	जन्म-तिथि	
7.	शैक्षणिक योग्यता	
8.	प्राप्त उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा/विवरण, जिसे विशेष योग्यजन व्यक्ति की दृष्टि से मौलिक तथा अनुकरणीय समझा जाएं	
9.	क्या कोई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

श्रेणी संख्या -5 विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास		
संख्या	उप-श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
(i)	विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन	एक
(ii)	विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन सुधारने के निमित्त विनिर्माण के लिए नए लागत प्रभावी उत्पाद का विकास	दो

सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) एक राज्य स्तरीय पुरस्कार विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या प्रौद्योगिकीय अभिनवीनता हेतु दिया जाएगा और दो पुरस्कार विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से नए किफायती उत्पाद के विकास हेतु प्रदान किए जाएंगे।

(ख) अभिनव परियोजनाओं या प्रौद्योगिकी के लिये निम्नलिखित चयन मानदंड होंगे :-

- (i) उत्कृष्ट उपकरण, सहायक यंत्र अथवा अनुकूलन यंत्र का विकास जो विशेष योग्यजन व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने अथवा उसे बनाए रखने एवं समुदाय के सामाजिक-आर्थिक जीवन में पूर्ण रूप से समेकित होने में उसकी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करता है तथा
- (ii) विशेष योग्यजन व्यक्ति की गतिशीलता में वृद्धि करने, उत्पादकता अथवा रोजगार में वृद्धि करने, यंत्र की अनुरक्षण एवं मरम्मत की क्षमता में यंत्र की प्रभावकारिता।

(ग) सरल एवं सर्वाधिक किफायती अनुकूलन प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे:-

- (i) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए विशेष योग्यजन व्यक्ति की गतिशीलता बढ़ाने में इसकी प्रभावोत्पादकता।
- (ii) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों की उत्पादकता एवं स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु अपनी आंतरिक क्षमता के सर्वोत्कृष्ट उपयोग में सहायक होने में इसकी प्रभावोत्पादकता।
- (iii) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों में संचार को सुगम बनाने में इसकी प्रभावोत्पादकता।
- (iv) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने में इसकी प्रभावोत्पादकता।
- (v) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को मनोरंजन प्रदान करने में इसकी प्रभावोत्पादकता।
- (vi) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनाया गया अन्य कोई मानदण्ड। इस समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) आवेदन अनुबंध-छ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आंमत्रित किए जाएंगे।

विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन

1.	नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिन्दी में	
2.	आवेदक का पता (पूरा पता) एवं दूरभाष न. तथा फैक्स नं.	
3.	वेबसाइट/ई-मेल, यदि कोई हो	
4.	जन्म-तिथि	
5.	शैक्षणिक योग्यता	
6.	व्यावसायिक/कार्यालयीन पदनाम एवं संगठन का पता तथा दूरभाष एवं फैक्स नं.	
7.	आविष्कार/अभिनवीनता का शीर्षक	
8.	i) विकास कार्य कब और कहां किया गया ii) क्या यह प्रस्ताव किसी अनुसंधान प्रयोगशाला/संस्थान अथवा किसी अन्य संगठन में अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत किया गया था	
9.	विस्तृत तकनीकी विवरण (अलग कागज पर लिख कर संलग्न करें)	
10.	विकास की वर्तमान अवस्था (जो मर्दे लागू न हों उन्हें काट दें)	विचार/मॉडल/कार्यशील मॉडल/प्रोटोटाइप/वाणिज्यिक
11.	मौलिकता का दावा क) यह ज्ञात स्वदेशी तथा आयातित वस्तु से किस प्रकार भिन्न है। मौलिकता/अभिनवीनता के दावे का विस्तृत ब्यौरा दें (अलग कागज पर लिख कर संलग्न करें) ख) क्या इसका पेटेंट करा लिया गया है? यदि हां, तो पेटेंट संख्या तथा आवेदन/स्वीकृति तथा सीलिंग की तारीख का उल्लेख करें	
12.	वैकल्पिक उत्पादों की तुलना में लाभ का दावा (जो लागू न हों उसे काट दें) क) कम पूंजी लागत/प्रचालन लागत/भर/आयतन ख) प्रत्यक्ष रूप से अथवा अटैचमेंट के रूप से उन्नत कार्य निष्पादन/सुरक्षा/परिणाम सेवा/अनुप्रयोग की रेंज/उपयोगिता ग) आयात प्रतिस्थापन तथा आत्म-निर्भरता में सहायक घ) अन्य कोई विशेष गुण	
13.	किए गए परीक्षण/प्रदर्शन : क) किए गए परीक्षणों तथा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा दें (अलग कागज पर लिख कर संलग्न करें) ख) क्या कार्यशील मॉडल/प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया गया है/उपयोग हेतु आपूर्ति की गई है? यदि हो, तो कृपया परीक्षकों/परीक्षण एजेंसियों के नाम (नामों) तथा पते एवं उनकी अभ्युक्तियों/परीक्षण परिणामों/प्राप्त अभिमतों का ब्यौरा दें	

14.	वाणिज्यकरण का ब्यौरा क्या इसका वाणिज्यिक दोहन किया गया है? क) यदि हां, तो वाणिज्यकरण की तारीख (तारीखों) एवं विनिर्माता पक्षकारों के पते तथा वार्षिक बिक्री का ब्यौरा दें ख) प्रयोक्ताओं, यदि कोई हों, के नाम एवं पते	
15.	क्या आपके आविष्कार/अभिनव के बारे में किसी तकनीकी अथवा वैज्ञानिक पत्रिका में कुछ प्रकाशित हुआ है? यदि हां, तो पुनःमुद्रित प्रति/कतरनें संलग्न करें	
16.	क्या आविष्कार/अभिनवीनता को किसी अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें	
17.	कृपया बताएं कि यह आविष्कार विशेष योग्यजनों को उनकी शिक्षा/रोजगार/प्रशिक्षण/ पुनर्वास अथवा जीवन के किसी अन्य पहलू में किस प्रकार लाभदायक सिद्ध होगा।	
18.	आम विशेष योग्यजन व्यक्ति अथवा किसी संस्थान/संगठन के लिए इसके किफायती होने के बारे में अपनी टिप्पणी दें	
19.	क्या विगत में कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कृपया उल्लेख करें और संक्षिप्त ब्यौरा दें।	

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

राज्य सरकार/नियोजकों की अभ्युक्तियां (जो लागू न हों उसे काट दें)।

आवेदक द्वारा किया गया कार्य, जो विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास है, पुरस्कार हेतु विचारार्थ संस्तुत किया जाता है। यह कार्य रोजगार के अंतर्गत आता है/नहीं आता है।

संस्थान/संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर, मुहर सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

श्रेणी-6 प्रारूप अनुबंध-ज

श्रेणी संख्या -6 विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु किया गया उत्कृष्ट कार्य		
संख्या	उप-श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
(i)	सरकारी विभाग या कार्यालय या पीएसयू या स्वायत्त निकाय	एक
(ii)	स्थानीय निकाय	एक
(iii)	निजी क्षेत्र या एनजीओ	एक

बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु किया गया उत्कृष्ट कार्य हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम तथा निजी क्षेत्र को एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा अपने कार्य परिसर में विशेष योग्यजन व्यक्तियों को बाधा मुक्त सुविधा एवं कार्य की परिस्थितियां उपलब्ध कराई गई हो। कार्यस्थल आवागमन की दृष्टि से आसान हो, शौचालय सुविधाओं और सांकेतिक भाषा तथा अन्य संकेतों के माध्यम से दिए गए निर्देशों से युक्त हो, जो विशेष योग्यजन व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाता हो और अपने समग्र कार्य वातावरण में उन्हें समाहित करता हो।

(ख) आवेदन अनुबंध-ज में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने में किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार संबंधी विवरण

1.	संस्था का नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिन्दी में	
2.	संस्था का पता एवं दूरभाष न. और फ़ैक्स नं., यदि कोई हो	
3.	वेबसाइट/ ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	संस्था का स्वरूप	
5.	प्रदत्त सुगम्य सुविधाओं का ब्यौरा	
6.	वार्षिक लाभान्वित लोगों की संख्या श्रेणीवार	
7.	प्रदत्त सुविधाओं के अन्यत्र प्रतिकृति निर्मित करने पर टिप्पणी	
8.	विशेष योग्यजनों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए क्या शौचालयों तथा दरवाजों में बदलाव किए गए हैं और भवन में रैम्प की व्यवस्था की गई है	
9.	क्या कार्य स्थल पर दृष्टिहीन तथा बधिर कर्मचारियों हेतु सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उनकी शारीरिक सुरक्षा हेतु संरक्षक उपकरण प्रदान किए गए हैं? कृपया पूरा ब्यौरा दें।	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

श्रेणी-7 प्रारूप अनुबंध-झ

श्रेणी संख्या -7 पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए पुरस्कार		
संख्या	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कारों का विवरण
(I)	एक	एक शील्ड, एक प्रमाणपत्र और एक प्रशस्ति पत्र। कोई नकद पुरस्कार नहीं।

सर्वश्रेष्ठ जिले हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) जिला पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से विशेष योग्यजन व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करके उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिले को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार चयनित जिले से क्रियान्वयन एजेंसी के नोडल अधिकारी तथा कलक्टर को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिला के चयन हेतु मानदंड निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
1	कार्यनीति एवं आयोजन में स्पष्टता	--30%--
2	जिला प्रशासन एवं स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों/एजेंसियों की सहभागिता	--20%--
3	जिला केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं के रूप में समग्र कार्य निष्पादन	--20%--
4	एडीआईपी (एडिप) स्कीम के उपयोग सहित विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लाभार्थ विभिन्न विभागों की स्कीमों और संसाधनों में समाभिरूपता और	--15%--
5	पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान आदि जैसी निवारक कार्यनीति के विशेष संदर्भ में सेवाओं के प्रावधान की पद्धतियों में नवीनता।	--15%--

(ख) आवेदन अनुबंध-झ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

विशेष योग्यजन व्यक्तियों के कल्याण एवं पुनर्वास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ जिले का
विवरण

1.	जिले का नाम	
2.	राज्य का नाम	
3.	जिला पुनर्वास केन्द्र कब से प्रचालनरत है	
4.	विशेष योग्यजन पुनर्वास के क्षेत्र में किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा	
5.	जिला केन्द्र के कार्यचालन में जिला प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों और जन प्रतिनिधियों की सहभागिता	
6.	विशेष योग्यजनता की रोकथाम सहित सेवाओं के प्रावधान हेतु किए गए विशेष प्रयास	
7.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लाभार्थ प्रचलित विभिन्न विकास स्कीमों में समाभिरूपता	
8.	एडीआईपी स्कीम के अन्तर्गत कवरेज	
9.	जागरुकता कार्यकलापों का ब्यौरा	
10.	अन्य कोई सूचना	

हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

श्रेणी-8 प्रारूप अनुबंध-अ

श्रेणी संख्या -8 राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन वित्त और विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी		
संख्या	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कारों का विवरण
(I)	एक	एक शील्ड, एक प्रमाणपत्र और एक प्रशस्ति पत्र

सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) सर्वश्रेष्ठ राज्य परिचालन अभिकरण हेतु पुरस्कार का आकलन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा :-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
1	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित ऋण की राशि	--25%--
2	लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण निर्गत किया गया	--15%--
3	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान देय राशि में से लाभार्थियों से वसूल की गई राशि का प्रतिशत	--20%--
4	पिछले वित्तीय वर्ष तक निर्गत धनराशि के उपयोग का प्रतिशत	--20%--
5	एनएचएफडीसी को देय पुनर्भुगतान राशि का प्रतिशत	--20%--

(ख) यह पुरस्कार उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाएगा बशर्ते राज्य परिचालन अभिकरण ने मानदंड के लिए (3), (4) और (5) चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक स्तर को पूरा करते हुए संतोषजनक रूप से कार्य किया है।

(ग) आवेदन अनुबंध-अ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आंमत्रित किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन वित्त एवं विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य परिचालन संस्था (एससीए) का ब्यौरा

1.	राज्य का नाम	
2.	राज्य परिचालन संस्था का नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) एवं हिन्दी में	
3.	एनएचएफडीसी की राज्य परिचालन संस्था के रूप में नामांकन का वर्ष	
4.	जीएलए का निष्पादन की तारीख	
5.	सरकारी गारंटी की तारीख	
6.	सरकारी गारंटी की राशि	
7.	एससीए से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनएचएफडीसी में प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	
8.	एनएचएफडीसी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	
9.	एनएचएफडीसी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एससीए को निर्गत राशि	
10.	एससीए द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लाभार्थियों को संवितरित धनराशि	
11.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें एससीए द्वारा पिछले वर्ष के दौरान ऋण का संवितरण किया गया	
12.	पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक एससीए से वसूली को बकाया राशि	
13.	एससीए से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त वसूली की राशि	
14.	पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक वसूली का प्रतिशत	
15.	एससीए द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वापस की गई धनराशि	
16.	एससीए द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	
17.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग हेतु शेष राशि के उपयोग का प्रतिशत	

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय का पता, मुहर सहित:

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियां

श्रेणी-9 प्रारूप अनुबंध- ट

श्रेणी संख्या -9 उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क विशेष योग्यजनों के लिए पुरस्कार		
संख्या	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कारों का विवरण
(I)	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पचास हजार रुपये नकद, एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाणपत्र

उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क हेतु चयन मापदण्ड :-

- (क) विशेष योग्यजनता से ग्रस्त वयस्कों को उनके उत्कृष्ट सृजनात्मक कार्य के लिए दो पुरस्कार कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में तथा विशेष योग्यजन व्यक्ति द्वारा किये गये किसी उच्च असाधारण सृजनात्मक कार्य/योगदान के लिए प्रदान किए जाएंगे, जिसका निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
- (ख) आवेदन अनुबंध-ट में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट रचनात्मक वयस्क विशेष योग्यजन व्यक्ति का
विवरण

1.	व्यक्ति का नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिन्दी में	
2.	आवास पता एवं दूरभाष न. और फ़ैक्स नं., यदि कोई हो	
3.	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	वेबसाइट, यदि कोई हो	
5.	जन्मतिथि/आयु	
6.	विशेष योग्यजन का स्वरूप एवं तीव्रता (विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
7.	व्यवसाय	
8.	मासिक आय	
9.	रचनात्मक कार्य का ब्यौरा जिसके लिए पुरस्कार पर विचार किया जाता है	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंषा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं तारीख

टिप्पणी :-

1. अनुशंसित विशेष योग्यजन व्यक्ति की विशेष योग्यजनता दर्शाते हुए दो फोटोग्राफ जीवन-वृत्त के साथ संलग्न किए जाए।
2. आवेदन के साथ कुल विशेष योग्यजनता की तीव्रता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए।

श्रेणी संख्या -10 सर्वश्रेष्ठ सृजनशील बालक/बालिका विशेष योग्यजन के लिये	
संख्या	पुरस्कारों की संख्या
(I)	दो (एक बालक के लिये तथा एक बालिका के लिये)

सर्वश्रेष्ठ सृजनशील बालक/बालिका हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) दो और पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन बच्चों को उत्कृष्ट रचनात्मक कार्यों के लिए प्रदान किए जायेंगे, जिनमें एक बालक तथा एक बालिका को कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में किए गए असाधारण सृजनात्मक कार्य के लिए तथा विशेष योग्यजनों द्वारा किए गए अन्य असाधारण कार्य/योगदान के लिए एक-एक राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसका निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) आवेदन अनुबंध-ठ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट सृजनशील विशेष योग्यजन बालक/बालिका का विवरण

1. बच्चे का नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) :-
तथा हिन्दी में
2. जन्म-तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :-
3. आवास का पता दूरभाष, तथा फ़ैक्स :-
नं., यदि कोई हो
4. ई-मेल, यदि कोई हो :-
5. वेबसाइट, यदि कोई हो :-
6. विशेष योग्यजन का स्वरूप एवं तीव्रता :-
7. कक्षा, जिसमें अध्ययनरत है :-
8. रचनात्मक कार्य का ब्यौरा जिसके लिए :-
पुरस्कार पर विचार किया जाता है :-

आवेदक के हस्ताक्षर :
नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
पता :
अभ्यर्थी से संबंध :

अनुशंषा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं तारीख

टिप्पणी :-

1. अनुशंसित विशेष योग्यजन बच्चे की विशेष योग्यजनता दर्शाते हुए दो फोटोग्राफ जीवन-वृत्त के साथ संलग्न किए जाए।
2. आवेदन के साथ कुल विशेष योग्यजनता की तीव्रता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाए।

श्रेणी संख्या -11 सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस	
संख्या	पुरस्कारों की संख्या
(I)	एक

सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के लिए एक पुरस्कार होगा। ब्रेल प्रेस का आकलन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा :-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
1	वह अवधि जब से प्रेस ब्रेल सामग्री का प्रकाशन कर रहा है	--5%--
2	मुद्रित प्रकाशनों की संख्या	--15%--
3	भाषाओं की संख्या, जिनमें प्रकाशन प्रकाशित किए जा रहे हैं	--15%--
4	प्रकाशित स्कूल/कॉलेज की पुस्तकों की संख्या	--25%--
5	पिछले 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष ब्रेल में मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या	--10%--
6	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मुद्रित टेक्टाइल स्कैचों जैसे ग्राफ, ज्यामितीय चित्रों आदि की संख्या	--10%--
7	कुल कारोबार, व्यय तथा लाभ/हानि सहित ब्रेल प्रेस की वित्तीय स्थिति	--20%--

(ख) इस प्रस्ताव हेतु आवेदन अनुबंध-ड के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

सर्वश्रेष्ठ ब्रेल मुद्रण प्रेस हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार

1. संगठन का नाम :-
2. ब्रेल प्रेस प्रबंधक का नाम :-
3. पता :-
4. दूरभाष नं. :-
5. फ़ैक्स नं. :-
6. ई-मेल :-
7. वेबसाइट :-
8. ब्रेल प्रेस की स्थापना माह :-
वर्ष :-
9. ब्रेल मुद्रण क्षमता
(क) मुद्रकों की सं.
(ख) प्रत्येक मुद्रक का ब्यौरा

क्र.सं.	मुद्रक का प्रकार	गति (कैरेक्टर प्रति सैकण्ड)	कार्यरत/अकार्यरत
1.			
2.			
3.			
4.			

10. प्रेस द्वारा वर्षवार उत्पादन (बाहरी स्रोत से किया गया कार्य शामिल न करें)

क्र.सं.	मद	2009-10	2010-11	2011-12
1.	भाषानुसार विषयों की संख्या (क) हिन्दी (ख) अंग्रेजी (ग) अन्य भाषाएं (i) (ii) (iii) कुल			
2.	जिल्दों (प्रतियों) की सं.			
3.	पृष्ठों की सं.			
4.	स्कूली पुस्तकों की सं.			
5.	टेक्टाइल स्केच, ग्राफ ज्यामितीय चित्रों आदि की सं.			
6.	बेची गई जिल्दों की सं. (क) सब्सिडी प्राप्त दर पर (ख) गैर-सब्सिडी प्राप्त दर पर कुल			

11. वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	व्यय	बिक्री से प्राप्त आय	लाभ/हानि
2009-10			
2010-11			
2011-12			

हस्ताक्षर एवं कार्यालय की
मुहर
नाम
पदनाम

तारीख:

स्थान:

टिप्पणी :-

(क) कृपया भाषानुसार विषयों की सूची संलग्न करें,

(ख) कृपया संगठन के विधिवत लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ/हानि खाते की प्रतियां संलग्न करें, जिनकी बिक्री की गई।

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

श्रेणी संख्या -12 सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट		
संख्या	उप-श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
(i)	सरकारी	एक
(ii)	पीएसयू या एलबी	एक
(iii)	निजी क्षेत्र	एक

सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) इस श्रेणी में कुल तीन पुरस्कार होंगे। ऐसे पात्र (i) सरकारी संगठन, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी/स्थानीय सरकारी निकाय और (iii) निजी/गैर सरकारी संगठन प्रत्येक को एक-एक पुरस्कार दिया जाएगा जिनकी वेबसाइट विशेष योग्यजन अनुकूल होगी।

(ख) आवेदकों का मूल्यांकन निम्नांकित मानदंडों पर किया जाएगा:-

- (i) यह डब्ल्यू.सी.ए.जी 2.0 की ए ए स्तर के दिशा निर्देशों को पूरा करता है।
- (ii) दृष्टि विशेष योग्यजन व्यक्ति स्क्रीनरीडर सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता है।
- (iii) माउस का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्ति आवाज पहचान सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं जिससे वर्बल कमान्ड करने वाले कम्प्यूटर पर कार्य किया जा सकता है।
- (iv) इसमें पाठ के आकार और स्पेस को बदलने की सुविधा हो।
- (v) इसमें पाठ की कलर स्क्रीन बदलने की सुविधा हो।
- (vi) क्या वेबसाइट मोबाइल फोन पर प्रयोग की जा सकती है।
- (vii) क्या वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यपन किया जाता है।

(ग) आवेदन अनुबंध-ढ में संलग्न विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अनुशंसित सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन
अनुकूल वेबसाइट का विवरण

1. संगठन/अभिकरण नाम
(अंग्रेजी और हिन्दी के मोटे अक्षरों में)
2. संगठन/अभिकरण का पता
3. वेबसाइट/ई-मेल पता, यदि कोई हो
4. अभिकरण का स्वरूप
5. प्रदान की गई सुलभ सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण
6. वार्षिक रूप से लाभान्वित लोगों की श्रेणीवार संख्या
7. वेबसाइट की सुलभता विशेषताओं की रेप्लीकेबिलिटी
8. क्या यह डब्ल्यू.सी.ए.जी. 2.0 दिशा निर्देशों के ए ए लेवल को पूरा करती है
9. क्या इस वेबसाइट पर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति स्क्रीनरीडर, सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है
10. क्या माउस का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करने वाला व्यक्ति इस पर वायस रिक्गनिशन सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता है ताकि वह वर्बल कमांड पर कम्प्यूटर पर काम कर सके
11. क्या यह वेबसाइट पाठ के साईज और स्पेसिंग को बदलने की सुविधा से सुसज्जित है
12. क्या यह पाठ की कलर स्क्रीन को बदलने की सुविधा से सुसज्जित है
13. क्या वेबसाइट को मोबाईल फोन पर प्राप्त किया जा सकता है
14. क्या वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यपन किया जाता है।

आवेदक संगठन के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

श्रेणी संख्या -13 सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन खिलाड़ी	
संख्या	पुरस्कारों की संख्या
(I)	दो (एक पुरुष के लिये तथा एक महिला के लिये)

सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन खिलाड़ी हेतु चयन मापदण्ड :-

(क) खेल के क्षेत्र में विशेष योग्यजन व्यक्तियों की असाधारण सृजनशीलता के लिए असाधारण विशेष योग्यजन खिलाड़ियों को दो राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। चयन के लिए मानदंड इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पर्धाओं की संख्या, जिनमें भाग लिया गया	--20%--
2	पिछले तीन वर्षों के दौरान हासिल राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय पदकों की संख्या	--30%--
3	राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पर्धाओं की संख्या, जिनमें भाग लिया गया	--15%--
4	पिछले तीन वर्षों के दौरान हासिल राष्ट्रीय पदकों की संख्या	--20%--
5	विशेष योग्यजन व्यक्तियों से संबंधित खेल गतिविधियों में अन्य कोई उपलब्धि	--15%--

(ख) आवेदन पत्र संलग्न अनुबंध-ण में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन खिलाड़ियों के संबंध में विवरण

1.	नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिन्दी में	
2.	पता, दूरभाष संख्या और फ़ैक्स संख्या, यदि कोई हो	
3.	ई-मेल का पता, यदि कोई हो	
4.	विशेष योग्यजनता का स्वरूप और उसकी मात्रा (विशेष योग्यजनता प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	विशेष योग्यजनता की प्रतिशतता का उल्लेख करें और यह कब से है	
6.	जन्म तिथि	
7.	शैक्षणिक अर्हता	
8.	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पर्धाओं की संख्या, जिनमें भाग लिया गया	
9.	पिछले तीन वर्षों के दौरान हासिल अन्तर्राष्ट्रीय पदकों की संख्या	
10.	राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पर्धाओं की संख्या, जिनमें भाग लिया गया	
11.	पिछले तीन वर्षों के दौरान हासिल राष्ट्रीय पदकों की संख्या	
12.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों से संबंधित खेल गतिविधियों में अन्य कोई उपलब्धि	

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
पता:.....
.....

उम्मीदवार के साथ संबंध.....
संस्तुतकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम तारीख सहित

नोट : आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें कुल विशेष योग्यजनता की प्रतिशतता दर्शाई गई हो।

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- राज्य स्तरीय पुरस्कार 2014-15 हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के साथ राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार, 2014-15 की विज्ञप्ति 2 प्रतियां मय सी.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त प्रेस विज्ञप्ति राज्य के दो समाचार पत्रों यथा राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवाने की कार्यवाही करावें। साथ ही प्रकाशन के बिल निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के नाम दो प्रतियों में मय प्रकाशित अखबार की प्रति सहित विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावे ताकि भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(सुवालाल)
निदेशक
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति (मय सी.डी.) का नियमानुसार प्रकाशन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
2. लेखा शाखा, मुख्यावास।
3. बिल शाखा, मुख्यावास।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

विज्ञप्ति

विशेष योग्यजन कल्याण के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार, 2014-15 हेतु निम्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन कर्मचारी/स्वनियोजित विशेष योग्यजन
2. सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा स्थापन अधिकारी/संस्था
3. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्था
4. प्रेरणा स्रोत पुरस्कार
5. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास
6. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु किया गया उत्कृष्ट कार्य
7. पुनर्वास सेवाएं प्रदायी सर्वश्रेष्ठ जिला
8. राष्ट्रीय विशेष योग्यजन वित्त एवं विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य परिचालन संस्था
9. उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क विशेष योग्यजन व्यक्ति
10. सर्वश्रेष्ठ सृजनशील बालक/बालिका विशेष योग्यजन के लिये
11. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस
12. सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट
13. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन खिलाड़ी

विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति/संस्था अपने जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क कर उनको निर्धारित श्रेणी एवं निर्धारित प्रारूप में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिलाधिकारी अपने जिला कलक्टर के द्वारा अभिशंषित प्रस्ताव 05 नवम्बर, 2014 तक निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। पुरस्कारों की गाइड लाइन एवं निर्धारित प्रपत्र जिलाधिकारी के पास उपलब्ध है एवं विभागीय वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

(सुवालाल)
निदेशक
एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

समस्त जिला कलक्टर
जिला..... ..

विषय :- राज्य स्तरीय पुरस्कार, 2014-15 के लिये प्रस्ताव भिजवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विशेष योग्यजन कल्याणार्थ राज्य स्तरीय पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर, को विशेष योग्यजनों के लिये निम्न श्रेणियों यथा श्रेष्ठ विशेष योग्यजन कर्मचारी/स्वनियोजित विशेष योग्यजन, श्रेष्ठ विशेष योग्यजन नियोक्ता तथा स्थापन अधिकारी/संस्था, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए कार्यरत श्रेष्ठ व्यक्ति/संस्था, प्रेरणा स्रोत पुरस्कार, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला श्रेष्ठ जिला/श्रेष्ठ पंचायत समिति/श्रेष्ठ ग्राम पंचायत, श्रेष्ठ सृजनशील वयस्क विशेष योग्यजन एवं श्रेष्ठ सृजनशील विशेष योग्यजन बालक/बालिकाएं को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसम्बर, 2014 के अवसर पर **राज्य स्तरीय पुरस्कार-2014-15** से जयपुर में सम्मानित किया जायेगा।

अतः राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना-2014-15 की गाईडलाईन एवं आवेदन पत्रों का प्रारूप आपके जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा दिया गया है एवं आपको भी ई-मेल कराया जा रहा है एवं विभागीय वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है। प्रस्ताव इस निदेशालय को दिनांक 05 नवम्बर, 2014 तक निर्धारित प्रारूप में आपकी अभिशंषा सहित भिजवाने का श्रम करावें। आपकी बिना अभिशंषा के, निर्धारित प्रारूप में प्राप्त नहीं होने पर एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। भेजे जाने वाले प्रस्तावों में विशिष्ट उपलब्धि का उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में अवश्य किया जावे।

(सुवालाल)

निदेशक

एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिचीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जिला..... ..

विषय :- राज्य स्तरीय पुरस्कार-2014-15 के लिये प्रस्ताव भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विशेष योग्यजन कल्याणार्थ राज्य स्तरीय पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर, को विशेष योग्यजनों के लिये निम्न श्रेणियों यथा श्रेष्ठ विशेष योग्यजन कर्मचारी/स्वनियोजित विशेष योग्यजन, श्रेष्ठ विशेष योग्यजन नियोक्ता तथा स्थापन अधिकारी/संस्था, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए कार्यरत श्रेष्ठ व्यक्ति/संस्था, प्रेरणा स्रोत पुरस्कार, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला श्रेष्ठ जिला/श्रेष्ठ पंचायत समिति/श्रेष्ठ ग्राम पंचायत, श्रेष्ठ सृजनशील वयस्क विशेष योग्यजन एवं श्रेष्ठ सृजनशील विशेष योग्यजन बालक/बालिकाएं को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसम्बर, 2014-15 के अवसर पर **राज्य स्तरीय पुरस्कार, 2014-15** से जयपुर में सम्मानित किया जायेगा।

अतः राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना-2014-15 की गाईडलाईन एवं आवेदन पत्रों का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवाया जा रहा है। जिसका भली-भाँति अध्ययन कर निर्धारित श्रेणीवार, निर्धारित प्रारूप में एवं चयन मापदण्ड के अनुसार आपके जिले के विशेष योग्यजनों एवं विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति/संस्था के प्रस्ताव प्राप्त कर जिला कलक्टर की अभिशंषा सहित प्रस्ताव निदेशालय को 05.11.2014 तक भिजवाना सुनिश्चित करायें। निदेशालय में प्रस्ताव भेजने से पूर्व आप द्वारा प्रस्तावों की गाईडलाईन एवं चयन मापदण्ड के अनुसार जांच कर प्रस्ताव भिजवायें। गाईडलाईन एवं आवेदन पत्र आपको भी ई-मेल कराया जा रहा है एवं विभागीय वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है। जिला कलक्टर की बिना अभिशंषा के, निर्धारित प्रारूप में प्राप्त नहीं होने पर एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। **भेजे जाने वाले प्रस्तावों में विशिष्ट उपलब्धि का उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में अवश्य किया जावे।**

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(सुवालाल)
निदेशक
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजकर लेख है कि राज्य स्तरीय पुरस्कार-2014-15 की गाईडलाईन मय सी.डी. आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया विभागीय वेबसाइट पर राज्य स्तरीय पुरस्कारो 2014-15 हेतु गाईड लाईन एवं निर्धारित प्रपत्र लिंकअप करना सुनिश्चित करायें।

निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

जिला स्तरीय पुरस्कारों हेतु समिति का गठन

विशेष योग्यजन कल्याणार्थ राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस (3 दिसम्बर) को 13 श्रेणियों में पुरस्कार दिये जाने हैं इस हेतु जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की समीक्षा एवं सिफारिश हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाता है।

- | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा मनोनित अधिकारी जो अतिरिक्त कलक्टर के स्तर का हो | अध्यक्ष |
| 2 | जिला श्रम कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 3 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | सदस्य |
| 4 | जिला स्तरीय उद्योग विभाग का अधिकारी | सदस्य |
| 5 | जिला स्तर पर विशेष योग्यजन की श्रेणी में कार्यरत श्रेष्ठ स्वयंसेवी संस्था (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 6 | जिला रोजगार अधिकारी | सदस्य |
| 7 | जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | सदस्य सचिव |

(सुवालाल)

निदेशक

एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. समस्त जिला कलक्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. निजी सहायक, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन।
6. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक

एवं संयुक्त शासन सचिव